क्रम-संख्या–182(क-1)

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्ल्यू०/एन०पी० 561
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2022 ई0

(श्रावण 31, 1944 शक संवत्)

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 7128/दस-लाइसेंस-185/भाँग की फुटकर नियमावली/2022-23

प्रयागराज, दिनांक : 19 सितम्बर, 2022 ई0

अधिसूचना

सा०प०नि०–61

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 **(**उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 **(**संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910**)** की धारा 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त**,** उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की अधिसूचना सं0 26743/दस-लाइसेंस-185/2018-2019 प्रयागराज/दिनांक-29 जनवरी, 2019 **द्वारा** प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2019 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली **बनाती** हैः-

उत्तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022

1-संक्षिप्त नाम व प्रारंभ--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (**द्वितीय संशोधन**) नियमावली**,** 2022 **कही जायेगी।**

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-नियम-2 का संशोधन--उत्तर प्रदेश आबकारी (भांग की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2019 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-**2** के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
2-परिभाषाएं जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में-	2-परिभाषाएं जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में-
(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से हैय	(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है**;**
(ख) ''वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष के दौरान फुटकर विक्रय के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत भांग की मात्रा (किलोग्राम में) से है तथापि, यदि आबकारी वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात् कोई लाइसेंस दिया जाता है, तो आबकारी वर्ष में शेष दिनों की संख्या के अनुसार समानुपातिक रूप से उनकी न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा को घटा दिया जायेगा;	(ख) ''वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' का तात्पर्य आबकारी आयुक्त **द्वारा** जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी **द्वारा** यथा नियत और लाइसेंसधारी **द्वारा** फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष के दौरान फुटकर विक्रय के प्रयोजन के लिए उसके **द्वारा** उठाई जाने वाली प्रत्याभूत भांग की मात्रा (किलोग्राम में) से है तथापि, यदि आबकारी वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात् कोई लाइसेंस दिया जाता है, तो आबकारी वर्ष में शेष दिनों की संख्या के अनुसार समानुपातिक रूप से उनकी न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा को घटा दिया जायेगा;
(ग) ''प्रतिफल शुल्क'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा-24 के अधीन भांग की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार हेतु सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए लाइसेंस के प्रदान किए जाने के निमित्त प्रतिफल के उस भाग से है, जो लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति द्वारा, भांग की उठान से पूर्व प्रति किलो ग्राम ऐसी दरों पर, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय, भुगतान किया जाय। परन्तु, यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो प्रतिफल शुल्क आबकारी वर्ष के अवशेष अवधि के समानुपातिक होगा,	**(ग) ''भांग'' का तात्पर्य भांग के पौधे (कैनेबिस सेटाइवा) की** पत्तियों **एवं छोटे-छोटे डन्ठलों से है, जो भांग के नाम से जाना जाता है;**
(घ) ''भांग'' का तात्पर्य (कैनेबिस सेटाइवा) के पौधों की पत्तियों एवं छोटे-छोटे डन्ठलों से है, जो भांग के नाम से जाना जाता है,	**(घ) ''प्रतिफल फीस'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा** 24 **के अधीन भांग की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार हेतु सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए लाइसेंस के प्रदान किए जाने के निमित्त प्रतिफल के उस भाग से है, जो लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति द्वारा, भांग की उठान से पूर्व प्रति किलो ग्राम ऐसी दरों पर, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय, संदेय किया जाय।** **परन्तु, यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो प्रतिफल फीस आबकारी वर्ष के अवशेष अवधि के समानुपातिक होगा;**

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(ड.) ''दैनिक लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य सम्पूर्ण वर्ष के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है,	**(ड.) ''दैनिक लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य सम्पूर्ण वर्ष के लिये नियत लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है;**
(च) ''दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 1/365 वाँ भाग होगी,	**(च) ''दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 1/365 वाँ भाग होगी;**
(छ) ''आबकारी वर्ष'' का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है,	**(छ) ''आबकारी वर्ष'' का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;**
(ज) ''परिवार'' का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) और आश्रित माता-पिता से है,	**(ज) ''धरोहर धनराशि'' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 वें भाग के समतुल्य धनराशि से है, और व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबन्धों के अधीन समपहृत किये जाने योग्य होगी;**
(झ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है,	**(झ) ''परिवार'' का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) और आश्रित माता-पिता से है;**
(ञ) ''लाइसेंस प्राधिकारी'' का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है,	**(ञ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;**
(ट) ''लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य प्रतिफल शुल्क के अतिरिक्त, आबकारी अधिनियम की धारा-24 के अधीन भांग की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने हेतु उद्ग्रहणीय प्रतिफल फीस से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्रदान किये जाने से पूर्व देय होगी,	**(ट) ''अनुक्रम'' का तात्पर्य ई-लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है;**
(ठ) ''प्रतिफल शुल्क की मासिक किस्त'' का तात्पर्य लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित वार्षिक प्रतिफल शुल्क के 1/12 वें भाग से है जो प्रत्येक माह देय होगी,	**(ठ) ''व्यक्ति'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;**
(ड) ''मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को बारह समान भागों में विभाजित किया जायेगा। इन गणनाओं के फलस्वरूप प्राप्त मात्रा, मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा समझी जायेगी,	**(ड) ''लाइसेंस प्राधिकारी'' का तात्पर्य जिला के कलक्टर से है;**

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 (एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(ढ) '' प्रतिभूति धनराशि'' का तात्पर्य वार्षिक प्रतिफल शुल्क तथा लाइसेंस फीस के योग के 1/6 वें भाग के बराबर की धनराशि से है, जो सावधि जमा रसीद के प्ररूप में जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई-पेमेण्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम निस्तारण के बाद वापसी योग्य होगी,	**(ढ) ''लाइसेंस फीस'' का तात्पर्य प्रतिफल फीस के अतिरिक्त, आबकारी अधिनियम की धारा-24 के अधीन भांग की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने हेतु उद्ग्रहणीय प्रतिफल फीस से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्रदान किये जाने से पूर्व संदेय होगी;**
परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद या राश्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।	
(ण) 'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के **1/10** वें भाग के समतुल्य धनराशि से है, और व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी,	**(ण)"प्रतिफल फीस की मासिक किस्त" का तात्पर्य लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नियत वार्षिक प्रतिफल फीस के 1/12 वें भाग से है ,जो प्रत्येक माह संदेय होगी;**
(त) 'अनुक्रम' का तात्पर्य ई-लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है,	**(त) "मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा" वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को 12 समान भागों में विभाजित किया जायेगा। इन गणनाओं के फलस्वरूप प्राप्त मात्रा, मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा समझी जायेगी;**
(थ)''पोर्टल'' का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म से है जिस पर भांग की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा,	**(थ)''पोर्टल'' का तात्पर्य विनिर्दिष्ट रूप से सृजित ऐसे इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म से है, जिस पर भांग की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचना विहित प्रपत्र में अपलोड की जायेगी;**
(द) ''ऋणशोधन क्षमता'' का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है जो किसी दुकान के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी,	**(द) ''प्रतिभूति धनराशि'' का तात्पर्य वार्षिक प्रतिफल फीस तथा लाइसेंस फीस के योग के 1/6 वें भाग के बराबर की धनराशि से है, जो सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के प्ररूप में जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई-पेमेण्ट के माध्यम से संदेय होगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम निस्तारण के बाद वापसी योग्य होगी,** **परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन.एस.सी.) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।**

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(ध) ''व्यक्ति '' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो,	(ध) ''**ऋणशोधन क्षमता**'' **का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है जो किसी दुकान के लिए अवधारित लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी,**
(न) ''व्यवस्थापन'' का तात्पर्य ई-लाटरी के माध्यम से नियत लाइसेंस फीस पर अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से ऑफर मांगकर दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।	(न) ''**व्यवस्थापन**'' **का तात्पर्य ई-लाटरी के माध्यम से नियत लाइसेंस फीस पर अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से ऑफर मांगकर दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुर्नव्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।**
(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समानुदेशित हों।	(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समानुदेशित हों।

3- नियम-6 का संशोधन --उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये **विद्यमान** नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:--

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
6 -लाइसेंस की स्वीकृति	**6** -लाइसेंस की स्वीकृति
इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस को अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से तथा प्रतिभूति धनराशि को सावधि जमा रसीद के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई-पेमेण्ट के माध्यम से भुगतान करने पर लाइसेंस निर्गत किये जायेगें।	इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस को अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से तथा प्रतिभूति धनराशि को सावधि जमा रसीद**/बैंक गारंटी** के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई-पेमेण्ट के माध्यम से **संदाय** करने पर लाइसेंस जारी किये जायेगें ।
लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहॉ से उसे लाइसेंस, स्वीकृति के समय जारी किया गया है।	लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जि**ला** में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक **द्वारा** निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहॉ से उसे लाइसेंस, स्वीकृति के समय जारी किया गया है।
परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय और गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि यह वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।	परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय और गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक **द्वारा** जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि यह वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।

4-नियम-8 का संशोधन--उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
8- आवेदकों के लिये पात्रता की शर्तें - फुटकर भॉग की दुकान के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी होगी- अर्थात्	**8-** आवेदकों के लिये पात्रता की शर्तें- फुटकर भॉग की दुकान के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी होगी- अर्थात्
(क) भारत का नागरिक हो, परन्तु भांग का थोक आपूर्तिकर्ता किसी फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने हेतु पात्र नहीं होगा। दुकान आवंटन के पश्चात आवेदक की स्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, परन्तु, लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारी बना रह सकता है।	(क) भारत का नागरिक हो, परन्तु भांग का थोक आपूर्तिकर्ता किसी फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने हेतु पात्र नहीं होगा। दुकान आवंटन के पश्चात आवेदक की स्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, परन्तु, लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में उसका विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हो, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारी बना रह सकता है।
(ख) आवेदन करने के समय आवेदनकर्ता की आयु इक्कीस वर्ष से अधिक हो।	(ख) आवेदन करने के समय आवेदनकर्ता की आयु इक्कीस वर्ष से अधिक हो।
(ग) व्यतिक्र्मी/काली सूची में सम्मिलित अथवा अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के उपबंधों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय द्वारा किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।	(ग) **व्यतिक्रमी**/काली सूची में सम्मिलित अथवा अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के उपबंधों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय **द्वारा** किसी आबकारी अपराध के लिए **दोषसिद्ध** किया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।
(घ) आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिए स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा।	(घ) आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिए स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा।
(ङ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-	(ङ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी **द्वारा** सम्यक रूप से अभिप्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-
(एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।	(एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।
(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।	(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो।	(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।	(चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, **के जिला कलक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा** नामनिर्दिष्ट, **सहायक पुलिस आयुक्त के रैंक के अनिम्न अधिकारी, द्वारा** जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।
(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से अपने प्राधिकृत बिक्रेता/ प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा।	(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से अपने प्राधिकृत **बिक्रीकर्ता**/ प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा।
(छः)यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।	(छः) यह कि उस पर कोई लोक **देयता** या **सरकारी** देयता का बकाया नहीं है।
(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।	(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।
(आठ) यह कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।	(आठ) यह कि **आवेदक** सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस जारी हो जाने के **पश्चात्** भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया लाइसेंस **रदद्** कर दिया जायेगा।
(नौ) यह है कि आवेदक बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी, लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अनर्ह होगा।	(नौ) यह है कि आवेदक बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस **रदद्** कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी, लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अनर्ह होगा।
(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयन हो जाने पर चयन के **48** घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे आन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया है, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।	(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयनित हो जाने पर चयन के **48** घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे आँन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया है, को **उसके द्वारा** जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।
(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नही किया है।	(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नही किया है।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(च) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के नाम से बना हो, की स्कैन प्रति आनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।	(च) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त **द्वारा नियत** धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के नाम से बना हो, की स्कैन प्रति आँनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा;
(छ) लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात् **48** घण्टे के अन्दर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसे दुकान की सभी देयताओं के भुगतान के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा।	(छ) लाइसेंसधारी के रूप में **चयनित** हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात् **48** घण्टे के **भीतर** सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसे दुकान की सभी देयताओं के भुगतान के **पश्चात्** वापस कर दिया जायेगा;
(ज) आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता/प्राधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिये अवधारित लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर वेल्युअर द्वारा निर्गत धारित संपत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करे, जहां से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया है।	(ज) आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर वैलुअर **द्वारा जारी** धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता/प्राधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा **जारी** धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिये अवधारित लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस **जिला** में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर वेल्युअर **द्वारा जारी** धारित संपत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करे, जहां से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया है;
परन्तु नवीकरण की स्थिति में, गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि यह वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।	परन्तु नवीकरण की स्थिति में, गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक **द्वारा** जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि यह वैध एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे;

5-नियम-9 का संशोधन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-9 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

9-लाइसेंस के लिये जिला स्तरीय समिति -

भांग की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होगे अर्थात्:-

(एक)	जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	जिले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(तीन)	आबकारी आयुक्त द्वारा नामित आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी	सदस्य
(चार)	जिले का जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य/सचिव

स्तम्भ-2

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

9-लाइसेंस के लिये जिला स्तरीय समिति -

भांग की फुटकर बिक्री के लाइसेंसधारियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होगे; अर्थात्:-

(एक)	**जिला का कलेक्टर**	**अध्यक्ष**
(दो)	**जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिशनरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी, जो सहायक पुलिस आयुक्त से अनिम्न हो,**	**सदस्य**
(तीन)	**आबकारी आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी**	**सदस्य**
(चार)	**जिला का जिला आबकारी अधिकारी**	**सदस्य/सचिव**

5-नियम-10 का संशोधन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
10. लाइसेंसधारी का चयन -	10. लाइसेंसधारी का चयन -
(1) लाइसेंसधारियों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर की प्रक्रिया के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी आनलाइन प्राप्त आवेदनों की पात्र एवं अपात्र की तैयार सूची ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिये अपात्रता के कारणों के उल्लेख सहित तैयार करेगा।	(1) लाइसेंसधारियों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार **द्वारा** यथा **विनिर्दिष्ट** ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर की प्रक्रिया के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी आनलाइन प्राप्त आवेदनों की पात्र एवं अपात्र की तैयार सूची ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिये अपात्रता के कारणों के उल्लेख सहित तैयार करेगा।
(2) उक्त समिति आवंटन हेतु पात्र एवं अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लॉटरी की स्थिति में पात्र आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार फुटकर दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम में अपनायी जायेगी। ई-टेण्डर द्वारा लाइसेंसधारियों के चयन की स्थिति में भी उक्त अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष में एक जिला में दो से अधिक भांग की फुटकर दुकानो का लाइसेंस नहीं दिया जा सकेगा।	(2) उक्त समिति पात्र एवं अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लॉटरी की स्थिति में पात्र आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार फुटकर दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम में अपनायी जायेगी। ई-टेण्डर **द्वारा** लाइसेंसधारियों के चयन की स्थिति में भी **पूर्वोक्त** अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष में एक जिला में दो से अधिक भांग की फुटकर दुकानो का लाइसेंस नहीं दिया जा सकेगा।
(3) यदि चयनित आवेदक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकतायें पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा तो लाइसेंस प्राधिकारी धरोहर धनराशि को जब्त करते हुये आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।	(3) यदि चयनित आवेदक **अपेक्षित** लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकतायें पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा तो लाइसेंस प्राधिकारी धरोहर धनराशि को जब्त करते हुये आवंटन को **रद्द** कर देगा और **राज्य सरकार द्वारा** विहित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के **पुर्नव्यवस्थापन** हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।
(4) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त न हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल उपाय करेगा।	(4) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त न हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के **पुर्नव्यवस्थापन** हेतु **राज्य सरकार द्वारा** विहित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल उपाय करेगा। **परन्तु यह कि पूर्वोक्त निर्बधंन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार लाइसेंसों के नवीकरण एवं लाईसेंसधारी की मृत्यु की दशा में विधिक वारिस के पक्ष में लाईसेंस के नामान्तरण से सम्बन्धित मामलों के लिए लागू नहीं होगा ,** **परन्तु यह भी कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों का नवीकरण होने की स्थिति में वह ई-लाटरी के माध्यम से अग्रतर दुकानों के चयन हेतु अपात्र होगा।**

5- नियम-12 का संशोधन--उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
12 -लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो वह अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के 03 कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयनित होने की सूचना के 10 कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के 20 कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि सावधि जमा रसीद के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई-पेमेण्ट द्वारा जमा की जायेगी।	12 -लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का **संदेय** यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो, वह अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के **तीन** कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयनित होने की सूचना के **दस** कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के **बीस** कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें। आवेदक **द्वारा** लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि सावधि जमा रसीद**/बैंक गारंटी** के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत अथवा ई-पेमेण्ट **द्वारा** जमा की जायेगी।
यदि वह विहित अवधि में लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि, लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, जो उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल राज्य सरकार द्वारा यथा विहित तरीके से पुर्नव्यवस्थापित कर दिया जायेगा।	**परन्तु, यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन रद्द हो जायेगा;** **परन्तु यह और कि ई लाटरी/ई टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का पन्द्रह प्रतिशत तथा नवीकरण फीस व लाइसेंस फीस, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।**

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
20- दुकानों का अन्तरिम व्यवस्थापन -	20- दुकानों का अन्तरिम व्यवस्थापन -
(1) इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निलम्बन, निरस्तीकरण, अभ्यर्पण या अन्य किसी कारण से दुकान अव्यवस्थित होने के मामले में लाइसेंस प्राधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी दरों पर दैनिक लाइसेंस फीस और समानुपातिक प्रतिफल शुल्क (अर्थात दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क), जो कि एक बार में अधिकतम चौदह दिनों की अवधि या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक इसमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी, के भुगतान पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन सर्वोच्च आफर पर कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने के मामले में सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि में निहित प्रतिफल फीस तथा लाइसेंस फीस के योग की**1/6** धनराशि के बराबर की प्रतिभूति धनराशि जमा करना होगा।	(1) इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निलम्बन, निरस्तीकरण, अभ्यर्पण या अन्य किसी कारण से दुकान अव्यवस्थित होने के मामले में लाइसेंस प्राधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त **द्वारा** यथा अधिसूचित ऐसी दरों पर दैनिक लाइसेंस फीस और समानुपातिक प्रतिफल **फीस** (अर्थात दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल **फीस**), जो कि एक बार में अधिकतम चौदह दिनों की अवधि या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक इसमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी, के **संदाय** पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन सर्वोच्च आफर पर कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने के मामले में सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि में निहित प्रतिफल फीस तथा लाइसेंस फीस के योग की1/6 धनराशि के बराबर की प्रतिभूति धनराशि जमा करना होगा।
परन्तु लाइसेंस प्राधिकारी आबकारी आयुक्त को पूर्व सूचना दिये बिना दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन दो बार से अधिक नहीं करेगा।	**लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी दुकान का ऐसा व्यवस्थापन दो से अधिक बार किया जा सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त को सूचित करना अनिवार्य होगा।**

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(2) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के मामले में दुकान का मध्य-सत्र में नियमित व्यवस्थापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। उक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा।	(2) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के मामले में दुकान का मध्यसत्र में नियमित व्यवस्थापन लाइसेंस प्राधिकारी **द्वारा** शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। उक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा।

10- प्रपत्र-एच0एम0-1 का संशोधन--उक्त नियमावली में, प्रपत्र-एच0एम0-1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
प्रपत्र एच**0**एम0-1	प्रपत्र एच0एम0-1
भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए भॉग की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस	**परिसर** के "बाहर" उपभोग के लिए "भॉग" की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस
आवेदक का फोटो / दुकान का फोटो	आवेदक का फोटो / दुकान का फोटो
दुकान का अक्षांश/देशान्तर	दुकान का अक्षांश/देशान्तर .....
लाइसेंस संख्या ..... वर्ष	लाइसेंस संख्या ..... वर्ष .....
दुकान का नाम ..... जिला	दुकान का नाम ..... जिला .....
लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में)	लाइसेंस फीस रूपया ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में)
वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा ..... कि0ग्रा0	वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा ..... कि0ग्रा0
मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा ..... कि0ग्रा0	मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा ..... कि0ग्रा0
वार्षिक प्रतिफल शुल्क की मासिक किस्त रू0 ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में)	वार्षिक प्रतिफल शुल्क की मासिक किस्त रू0 ..... (अंकों में) ..... (शब्दों में) .....
भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ)	भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) .....
उत्तर	उत्तर .....
दक्षिण:	दक्षिण: .....
पूरब	पूरब .....
पश्चिम:	पश्चिम: .....
लाइसेंसधारी का नाम, पिता का नाम और पता	लाइसेंसधारी का नाम, पिता का नाम और पता
(1) ..... पुत्र ..... निवासी	**(1) .....** पुत्र ..... निवासी
विक्रेताओं के नाम, पिता के नाम, और पते	
(1).....पुत्र.....निवासी.....	
(2).....पुत्र.....निवासी	
(3).....पुत्र.....निवासी.....	
(4).....पुत्र.....निवासी	
भांग की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस, ऊपर लाइसेंस धारकों को जिला ..... के अन्तर्गत ..... स्थान, पुलिस थाना ..... तहसील ..... के लिए दिनांक ..... से 31 मार्च 20 ..... तक के लिए जिसके लिए लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, एत्दद्वारा निर्गत किया जाता है।	**"निकाल दिया गया"** भांग की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस, ऊपर लाइसेंस धारकों को जिला ..... के अन्तर्गत ..... स्थान, पुलिस थाना ..... तहसील ..... के लिए दिनांक ..... से 31 मार्च 20..... तक के लिए जिसके लिए लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, **एतद्द्वारा जारी** किया जाता है।

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान प्रपत्र	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र)
यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन व शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी (भांग के फुटकर लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2019 के नियम-21 में वर्णित उपबंधों का उल्लंघन करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर लाइसेंस धारक का लाइसेंस निरस्त हो जायेगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर ली जायेगी।	यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन व शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी (भांग के फुटकर लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2019 के नियम-21 में वर्णित उपबंधों का उल्लंघन करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अधीन किसी अपराध के लिए **दोषसिद्ध** होने पर लाइसेंस धारक का लाइसेंस निरस्त हो जायेगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर ली जायेगी।
निबन्धन एवं शर्ते	निबन्धन एवं शर्ते
1-नियम-13 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी भांग के लागत मूल्य को आर**0**टी**0**जी**0**एस**0** द्वारा एवं प्रतिफल शुल्क अधिमानतः ई-पेमेन्ट के द्वारा जमा करने के पश्चात् भांग का उठान जिला के बंधित गोदाम अथवा प्राधिकृत बंधित गोदाम से करेगा।	1-नियम-13 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी भांग के लागत मूल्य को आर**0**टी**0**जी**0**एस**0 द्वारा** एवं प्रतिफल **फीस** अधिमानतः ई-पेमेन्ट के **द्वारा** जमा करने के पश्चात् भांग का उठान जिला के बंधित **भांडागार** अथवा प्राधिकृत बंधित **भांडागार** से करेगा।
2-नियम-14 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी को प्रतिफल शुल्क की मासिक किस्त माह की 20वीं तारीख तक जमा करनी होगी।	2-नियम-14 के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी को प्रतिफल **फीस** की मासिक किस्त माह की 20वीं तारीख तक जमा करनी होगी।
3-भांग की बिक्री खुले अथवा पिसी गोली के रुप में करेगा। लाइसेंसधारी को किसी भी व्यक्ति को 120 ग्राम से ज्यादा भांग की बिक्री की अनुमति नही होगी।	3-भांग की बिक्री खुले अथवा पिसी गोली के रुप में करेगा। लाइसेंसधारी को किसी भी व्यक्ति को 120 ग्राम से ज्यादा भांग की बिक्री की अनुमति नही होगी।
4-भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए भांग की बिक्री की जायेगी।	4-परिसर के बाहर उपभोग के लिए भांग की बिक्री की जायेगी।
5- लाइसेंसधारी यथा विहित प्रपत्र और रजिस्टर में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा और उसे आबकारी पोर्टल पर भी अपलोड करेगा। जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो उक्त लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा।	5- लाइसेंसधारी यथा विहित प्रपत्र और रजिस्टर में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा और उसे आबकारी पोर्टल पर भी अपलोड करेगा। जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी **द्वारा** मांगा जायेगा, तो उक्त लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा।
6-भांग की फुटकर बिक्री को छोड़कर, जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।	6-भांग की फुटकर बिक्री को छोड़कर, जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7-लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बंदी हेतु यथा अधिसूचित तीन और दिवसों के अतिरिक्त सभी दिवसों में प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों के कारण भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।	**7**-लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी **द्वारा** बंदी हेतु यथा अधिसूचित तीन और दिवसों के अतिरिक्त सभी दिवसों में प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों के कारण भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।
8-लाइसेंसधारी भांग के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा।	8-लाइसेंसधारी भांग के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा।
9-लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये प्रपत्र साइज में एक सहज दृष्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बंद होने का समय और यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेंगी। साईन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्षित करना होगाः-	9-लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश **द्वार** पर आबकारी आयुक्त **द्वारा** अनुमोदित किये गये प्रपत्र साइज में एक सहज दृष्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बंद होने का समय और यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेंगी। साईन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को **भी प्रदर्शित** करना होगाः-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान प्रपत्र	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र)
''दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर भांग का सेवन वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा। भांग का सेवन करके गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया भांग का सेवन करके गाड़ी न चलायें।''	''दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर भांग का सेवन वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा। भांग का सेवन करके गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया भांग का सेवन करके गाड़ी न चलायें।''
स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान प्रपत्र	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र)
10- लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा और जब निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तो, उसे प्रस्तुत करना होगा।	10- लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को **बिक्रीकर्ता** के रूप में **नियोजित** नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी **द्वारा** सम्यक् रूप से **जारी बिक्रीकर्ता** का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा और जब निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों **द्वारा** मांगा जाये तो, उसे प्रस्तुत करना होगा।
11- किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्री नहीं की जायेगी जो **21** वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी जो वर्दी में हो।	11- किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्री नहीं की जायेगी जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी जो वर्दी में हो।
12- लाइसेंसधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए उसकी नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा।	12- लाइसेंसधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए उसकी नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा।
13- लाइसेंसधारी/ विक्रेता और उसके परिवार के सिवाय परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।	13- लाइसेंसधारी/ विक्रेता और उसके परिवार के सिवाय परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।
14- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है।	14- लाइसेंसधारी **द्वारा** अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा **निषिद्ध** है। **द्यूत** या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा **निषिद्ध** है।
15- लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अतिरिक्त शेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-17 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।	15- लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अतिरिक्त शेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-17 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।
16- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा।	16- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी **द्वारा** समय-समय पर **जारी** सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा।
	17- लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री का कार्य करने के लिये बिक्रीकर्ताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तद्नुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।
दिनांक.....	दिनांक.....
जिला.....	जिला.....
लाइसेंस प्राधिकारी	लाइसेंस प्राधिकारी

(सेंथिल पांडियन सी.)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 7128/X-License-185/Bhang Retail Rules/2022-2023

Prayagraj, dated: September 19, 2022

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under section 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act No. IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P.Act. no.1 of 1904) the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government makes the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Excise (Settlement of licenses for Retail Sale of Bhang) Rules, 2019 published vide Excise Commissioner notification no. 26743/X-Licence 185 /2018-2019/ Prayagraj: January 29, 2019.

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENSES FOR RETAIL SALE OF BHANG) (**SECOND** AMENDMENT) RULES, **2022**

1. Short title and Commencement–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of licenses for Retail Sale of Bhang) (**Second** Amendment) Rules, **2022.**

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Gazette.

2. Amendement of rule-2–In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of licenses for Retail Sale of Bhang) Rules, 2019, hereinafter referred to as the said rules, for rule 2 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
2. Definitions -In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-	2. Definitions -In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-
(a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;	(a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;
(b) "Annual minimum guaranteed quantity", means the quantity of bhang (in kilogram) as fixed by the Licensing Authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for the purpose of retail sale during an Excise Year. However, if any license is granted after the commencement of the excise year then its annual minimum guaranteed quantity shall be reduced proportionately according to the number of days remaining in the excise year;	(b) "Annual minimum guaranteed quantity", means the quantity of bhang (in kilogram) as fixed by the Licensing Authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for the purpose of retail sale during an Excise Year. However, if any license is granted after the commencement of the excise year then its annual minimum guaranteed quantity shall be reduced proportionately according to the number of days remaining in the excise year;
(c)"Consideration fee" means that part of consideration for the grant of license for the exclusive privilege of retail sale of bhang under section 24 of the Act, payable by the person selected as licensee before lifting of bhang for the whole excise year or part thereof on such rates per kilogram as notified by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time: Provided, if settlement is done in mid-session the consideration fee shall be in proportion to the remainder part of the Excise Year.	**(c) "Bhang" means the leaves and small stalks of hemp plant (Cannabis Sativa), known as bhang;**
(d) "Bhang" means the leaves and small stalks of hemp plant (Cannabis Sativa), known as bhang;	**(d) "Consideration fee" means that part of consideration for the grant of license for the exclusive privilege of retail sale of bhang under section 24 of the Act, payable by the person selected as licensee before lifting of bhang for the whole excise year or part thereof on such rates per kilogram as notified by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time;** **Provided, if settlement is done in mid-session the consideration fee shall be in proportion to the remainder part of the Excise Year;**

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
(e) "Daily License fee" means 1/365th part of the fixed licence fee of the whole year;	**(e) "Daily License fee" means 1/365th part of the fixed licence fee of the whole year;**
(f)"Daily Minimum Guarantee quantity" shall be 1/365th part of annual minimum guaranteed quantity;	**(f)"Daily Minimum Guarantee quantity" shall be 1/365th part of annual minimum guaranteed quantity;**
(g) "Excise year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year;	**(g) "Excise year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year;**
(h) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son(s), unmarried daughter (s) and dependent parents;	**(h)"Earnest money" means the amount equal to 1/10th part of license fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of license and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these rules;**
(i) "Form" means the form, appended to these rules;	**(i) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son(s), unmarried daughter (s) and dependent parents;**
(j) "Licensing authority" , means the Collector of the District;	**(j) "Form" means the form, appended to these rules;**
(k) "License Fee" means the consideration fee leviable for grant of license for exclusive privilege of retail sale of Bhang under section 24 of the Act, payable by the licensee before license is granted, in addition to consideration fee, for the whole excise year or part thereof on such rates as notified by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time;	**(k) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e-lottery;**
(l)"Monthly installment of consideration fee" means 1/12th part of the annual consideration fee fixed by the licensing authority, which shall be payable every month;	**(l) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of making application;**
(m) "Monthly minimum guaranteed quantity":- Annual minimum guaranteed quantity shall be divided in 12 equal parts. Quantity obtained as a result of these calculations shall be deemed to be monthly minimum guaranteed quantity;	**(m) "Licensing authority" , means the Collector of the District;**
(n) "Security amount" means 1/6th part of sum of annual consideration fee and the license fee, which shall be payable in the form of Fixed Deposit Receipt pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government; Provided in case of renewal security deposited prior in cash or through national saving certificate (N.S.C) shall be acceptable till it is not refunded .	**(n) "License Fee" means the consideration fee leviable for grant of license for exclusive privilege of retail sale of Bhang under section 24 of the Act, payable by the licensee before license is granted, in addition to consideration fee, for the whole excise year or part thereof on such rates as notified by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time;**
(o) "Earnest money" means the amount equal to 1/10th part of license fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of license and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these rules;	**(o) "Monthly installment of consideration fee" means 1/12th part of the annual consideration fee fixed by the licensing authority, which shall be payable every month;**

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
(p) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e-lottery;	**(p) "Monthly minimum guaranteed quantity":- Annual minimum guaranteed quantity shall be divided in 12 equal parts. Quantity obtained as a result of these calculations shall be deemed to be monthly minimum guaranteed quantity;**
(q) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution;	**(q) "Portal" means the specifically created electronic platform where on information in the prescribed form with regard to the process of settlement of retail shops of bhang shall be uploaded;**
(r) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail license which shall be equivalent to not less than license fee determined for any shop;	**(r) "Security amount" means 1/6th part of sum of annual consideration fee and the license fee, which shall be payable in the form of Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government;** **Provided in case of renewal security deposited prior in cash or through national saving certificate (N.S.C) shall be acceptable till it is not refunded;**
(s) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of making application;	**(s) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail license which shall be equivalent to not less than license fee determined for any shop;**
(t) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through the medium of e-lottery at fixed fee or through the process of e-tender by inviting offer which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year;	**(t) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through the medium of e-lottery at fixed fee or through the process of e-tender by inviting offer which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year;**
(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.	(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Amendment of rule 6-- In the said rules, for existing rule 6 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
6- Grant of License- The license shall be issued on payment of license fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these rules. The licensee shall be required to furnish the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer in original copy in the district from where it has been issued at the time of grant of license. Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded and the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.	6- Grant of License- The license shall be issued on payment of license fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt **/Bank Guarantee** pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment in accordance with the provisions of these rules. The licensee shall be required to furnish the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer in original copy in the district from where it has been issued at the time of grant of license: Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded and the solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.

4-Amendment of rule-8-- In the said rules, for existing rule 8 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
8- Eligibility conditions for applicants-- Eligible applicants for license of a retail bhang shop must fulfill following conditions namely-	8- Eligibility conditions for applicants-- Eligible applicants for license of a retail bhang shop must fulfill following conditions, namely:-
(a) be a citizen of India, but whole sale supplier of bhang shall be not eligible for holding license of any retail shop. No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. Provided, in the event of death of licensee, his/her legal heir, if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license:	(a) be a citizen of India, but whole sale supplier of bhang shall be not eligible for holding license of any retail shop. No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop: Provided, in the event of death of licensee, his/her legal heir, if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license;
(b) be above twenty-one years of age at the time of making application.	(b) be above twenty-one years of age at the time of making application;
(c) not be defaulter/blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions of any rules made under act. Any person who has been convicted of any excise offence by any court of law unless fully and finally acquitted shall be automatically debarred from holding the license.	(c) not be defaulter/blacklisted or debarred from holding an excise license under the provisions of any rules made under act. Any person who has been convicted of any excise offence by any court of law unless fully and finally acquitted shall be automatically debarred from holding the license;
(d) applicant shall be eligible for making only one application in his own name for any shop.	(d) applicant shall be eligible for making only one application in his own name for any shop
(e) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely-	(e) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely**:-**
(i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premise in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop, Rules, 1968 as amended from time to time.	(i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premise in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop, Rules, 1968 as amended from time to time;
(ii) that his proposed premise of the shop has not been constructed in violation of any law or rules.	(ii) that his proposed premise of the shop has not been constructed in violation of any law or rules;
(iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under United Provinces Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence.	(iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under United Provinces Excise Act. 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence;
(iv) that in case of being selected as licensee he will furnish a certificate issued by Senior Superintendent/ Superintendent of Police of the district of which he is resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license.	(iv) that in case of being selected as licensee he will furnish a certificate issued by **the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate** of the district of which he is resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license**;**
(v) that he shall not employ any salesmen or representative who has criminal background as mentioned in clauses (iii) or who suffers from any infectious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman / representative from District Excise Officer.	(v) that he shall not employ any salesmen or representative who has criminal background as mentioned in clauses (iii) or who suffers from any infectious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman/representative from District Excise Officer**;**

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
(vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues.	(vi)that he is not in arrear of any public dues or Government dues**;**
(vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds, for conducting the business, the details of which shall be made available to the licensing authority if required.	(vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds, for conducting the business, the details of which shall be made available to the licensing authority if required;
(viii) that applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities. If after issuance of license it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted license shall be cancelled.	(viii) that applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities. If after issuance of license it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted license shall be cancelled;
(ix) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the license then the license shall be cancelled. An employee of the Government shall also be ineligible to apply for the grant of license.	(ix) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the license then the license shall be cancelled. An employee of the Government shall also be ineligible to apply for the grant of license;
(x) that in case of being selected as licensee, bank drafts of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited by him in the office of District Excise Officer within 48 hours after selection.	(x)that in case of being selected as licensee, bank drafts of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited by him in the office of District Excise Officer within 48 hours after selection;
(xi) that he has not made use of the bank drafts of earnest money in making application for any other shop in the same phase.	(xi) that he has not made use of the bank drafts of earnest money in making application for any other shop in the same phase;
(f) That he shall upload a scanned copy of bank draft of earnest money issued in favour of District Excise Officer of the district of the concerned shop along with online application as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government.	(f) That he shall upload a scanned copy of bank draft of earnest money issued in favour of District Excise Officer of the district of the concerned shop along with online application as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government;
(g) In case of being selected as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within 48 hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues.	(g) In case of being selected as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within 48 hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues;
(h) That he is holder of solvency certificate or certificate of owned property issued by Income Tax valuer and the worth of solvency or certificate of owned property issued by Income Tax valuer shall be equivalent to not less than the amount of license fee determined for the grant of license of applied shop in the district. Licensees shall be required to submit the original copy of solvency certificate or certificate of owned property issued by Income Tax valuer in that district from where it has been issued at the time of grant of license. Provided, in case of renewal, solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.	(h) That he is holder of solvency certificate or certificate of owned property issued by Income Tax valuer and the worth of solvency or certificate of owned property issued by Income Tax valuer shall be equivalent to not less than the amount of license fee determined for the grant of license of applied shop in the district. Licensees shall be required to submit the original copy of solvency certificate or certificate of owned property issued by Income Tax valuer in that district from where it has been issued at the time of grant of license: Provided, in case of renewal, solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.

5. Amendment of rule-9-- In the said rules, for existing rule 9 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely**:-**

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
9. District Level Committee for Licensing-	9. District Level Committee for Licensing-
There shall be a District Level Committee for selection of licensees for retail sale of Bhang. The committee shall consist of the following members, namely-	There shall be a District Level Committee for selection of licensees for retail sale of Bhang. The committee shall consist of the following members, namely:-

(i)	The Collector of the District	Chairman
(ii)	The Senior Superintendent Of Police/ the Superintendent of Police of the District	Member
(iii)	One Gazetted Officer of Excise Department nominated by the Excise Commissioner	Member
(iv)	The District Excise Officer of the District	Member/Secretary

(i)	The Collector of the District	Chairman
(ii)	**The Senior Superintendent of Police / Superintendent of Police of the concerning district or an Officer not below the rank of Assistant Commissioner of Police nominated by the Police Commissioner of the concerning Police Commissionerate.**	Member
(iii)	One Gazetted Officer of Excise Department nominated by the Excise Commissioner	Member
(iv)	The District Excise Officer of the District	Member/Secretary

6. Ammendement of rule 10--In the said rules, for existing rule 10 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
10- Selection of licensee-	10- Selection of licensee-
(1) Licensees shall be selected shop wise through the process of e-lottery or e-tender, as specified by the State Government, through inviting online applications. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare list of all eligible and ineligible applications, describing the reasons of ineligibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing constituted for e-lottery and e-tender.	(1) Licensees shall be selected shop wise through the process of e-lottery or e-tender, as specified by the State Government, through inviting online applications. District Excise Officer shall scrutinize the applications received online and prepare list of all eligible and ineligible applications, describing the reasons of ineligibility and shall put up this list before the District Level Committee of Licensing constituted for e-lottery and e-tender.
(2) The said committee shall identify eligible and ineligible applicants. In case of e-lottery the licensee shall be selected for each shop from amongst the eligible applicants through the computer driven randomized arrangement. Randomization process shall be adopted in the descending order of earnest money of retail shop as per prescribed hierarchy under respective rule. In case of selection of licensee through e-tender the same aforesaid sequence shall be adopted. Not more than two bhang shops shall be allotted in favour of an applicant in the district.	(2) The said committee shall identify eligible and ineligible applicants. In case of e-lottery the licensee shall be selected for each shop from amongst the eligible applicants through the computer driven randomized arrangement. Randomization process shall be adopted in the descending order of earnest money of retail shop as per prescribed hierarchy under respective rule. In case of selection of licensee through e-tender the same aforesaid sequence shall be adopted. Not more than two bhang shops shall be allotted in favour of an applicant in the district.
(3) In case, the selected applicants does not deposit the required license fee or security amount and does not fulfill the prescribed formalities or is unable to arrange suitable premises for the shop within the stipulated period, the Licensing Authority shall cancel the allotment and take steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the State Government.	(3) In case, the selected applicants does not deposit the required license fee or security amount and does not fulfill the prescribed formalities or is unable to arrange suitable premises for the shop within the stipulated period, the Licensing Authority shall cancel the allotment and take steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the State Government.
(4) In case, no application is received for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the State Government.	(4) In case, no application is received for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop, the Licensing Authority shall take immediate steps for resettlement of the shop through the process as prescribed by the State Government: **Provided that aforesaid restriction shall not be applicable to matter related to renewal of licenses and mutation of licence in favor of legal heir in the event of death of licencee as per the criteria laid down by the State Government: Provided also that in case of renewal of two or more shops in favour of any applicant in the entire State, he will be ineligible for selection of further shops through e- lottery**.

7. Amendment of rule-12-- In the said rules, for existing rule 12 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
12-Payment of License fee & Security amount-In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of license fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through e-payment. Security amount shall be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment. If he fails to deposit the amount of the license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled and his earnest money and license fee as well as the security amount deposited by him, shall be forfeited in favor of State Government and the said shop shall be resettled forthwith in manner as prescribed by the State Government.	12-Payment of License fee **and** Security amount-In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of license fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through e-payment. Security amount shall be deposited through Fixed Deposit Receipt/**Bank Guarantee** pledged in favour of District Excise Officer or through e-payment: **Provided,** if he fails to deposit the amount of license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled: **Provided further that in case of licence being settled through the e-lottery/ e-tender, his earnest money and license fee as well as the security amount, if deposited by him, and in case of licence being renewed, fifteen percent of security amount of last year along with renewal fee and licence fee, if deposited by him, shall also be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government.**

8. Amendment of rule-20-- In the said rules, for existing rule 20 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
20- Interim Settlement of shop- (1) In case a license is suspended, cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules or if the shop remains unsettled for any reasons the licensing authority may make interim settlement of the shop at the highest offer on the payment of daily license fee on such rates as notified by the Excise Commissioner with the prior sanction of the Government and proportionate consideration fee (i.e. consideration fee involved in the daily minimum guaranteed quantity) for a maximum period of fourteen days at one stretch or till the date of regular settlement, whichever is earlier. In case of obtaining two or more equal offers for one shop, settlement shall be done through manual public lottery. Such licensee shall also be required to deposit security amount equivalent to 1/6th of the sum of consideration fee and license fee involved in the period of interim settlement. Provided that the licensing authority shall not make interim settlement of the shop for more than two times without prior intimation to the Excise Commissioner.	20- Interim Settlement of shop- (1) In case a license is suspended, cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules or if the shop remains unsettled for any reasons the licensing authority may make interim settlement of the shop at the highest offer on the payment of daily license fee on such rates as notified by the Excise Commissioner with the prior sanction of the Government and proportionate consideration fee (i.e. consideration fee involved in the daily minimum guaranteed quantity) for a maximum period of fourteen days at one stretch or till the date of regular settlement, whichever is earlier. In case of obtaining two or more equal offers for one shop, settlement shall be done through manual public lottery. Such licensee shall also be required to deposit security amount equivalent to 1/6th of the sum of consideration fee and license fee involved in the period of interim settlement**. Such settlement of shop can be done more than twice by the licencing authority, but in such situation it will be essential to inform the Excise Commissioner.**
(2) In case any license is cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules, regular settlement of the shop shall be done as soon as possible by the Licensing Authority through the process of e-tender in mid-session after giving public advertisement. The intimation of aforesaid settlement shall be sent forthwith to the Excise Commissioner.	(2) In case any license is cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules, regular settlement of the shop shall be done as soon as possible by the Licensing Authority through the process of e-tender in mid-session after giving public advertisement. The intimation of aforesaid settlement shall be sent forthwith to the Excise Commissioner.

9. Amendment of form H.M.-1--In the said rules for **form** H.M-1, the following form shall be substituted, namely:-

Column-I
(Existing rule)

License for the Retail Sale of "Bhang" for Consumption "Off" the premises.

Photo of applicant	Photo of shop

Latitude/longitude of shop…......................................……
License No………..................…year….........................
Name of Shop…………………District…........………
License fee Rs………(in figures)……......….(in words)
Annual Minimum Guaranteed Quantity………..…K.g.
Monthly Minimum Guaranteed Quantity…………K.g.
Monthly installment of Annual Consideration Fee Rs.……......….(in figures)………........……...(in words)
Description of premises (with boundaries) -------------

North…………….........……South…...................………
East…………….............……West……….................……

Name, Father's Name & Address of Licensee
1………………S/o ….....……R/o…........……..
Name, Father's Name & Address of Salesmen
1……………S/o ………R/o……….......
2……………S/o ………R/o…….........
3……………S/o ………R/o……….......
4……….…...S/o ………R/o……….......

License for the retail sale of Bhang is hereby issued to above license holder at …………….(place) in P.S. ………. Tahsil…….in the District of ……..w.e.f. from …………to March, 31, 20…………..for which license fee and security deposit has been paid.

The License is subject to the following terms and conditions the infraction of any of which or violation of the provisions as expounded in Rule-21 of U.P. Excise (Settlement of licenses for retail sale of Bhang) Rules- 2019 or conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee liable for cancellation of the license and forfeiture of security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

TERMS AND CONDITIONS

1. According to provisions of Rule-13 the licensee shall lift the quantity of bhang from the bonded warehouse of the district or entitled bonded warehouse after making payment of cost price through RTGS and consideration fee preferably through e-payment.
2. The licensee shall be liable to pay the monthly installment of consideration fee by the 20th day of the month in accordance with the provisions of rule-14.

Column-II
(Rule as hereby substituted)

License for the Retail Sale of "Bhang" for Consumption "Off" the premises.

Photo of applicant	Photo of shop

Latitude/longitude of shop…..……
License No………..................…year…..............................
Name of Shop…………………District…..............………
License fee Rs………(in figures)……...........….(in words)
Annual Minimum Guaranteed Quantity……........……K.g.
Monthly Minimum Guaranteed Quantity……......……K.g.
Monthly installment of Annual Consideration Fee Rs.………......….(in figures)……….......…........….(in words)
Description of premises (with boundaries) -----------------

North…………….........……South…...................………
East…………….............……West……….................……

Name, Father's Name & Address of Licensee
1………………S/o ………R/o……..........…..

"Omitted"

License for the retail sale of Bhang is hereby issued to above license holder at …………….(place) in P.S. ……… Tahsil…………….in the District of ………..w.e.f. from …………to March, 31, 20…………..for which license fee and security deposit has been paid.

The License is subject to the following terms and conditions the infraction of any of which or violation of the provisions as expounded in Rule-21 of U.P. Excise (Settlement of licenses for retail sale of Bhang) Rules- 2019 or conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee liable for cancellation of the license and forfeiture of security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

TERMS AND CONDITIONS

1. According to provisions of Rule-13 the licensee shall lift the quantity of bhang from the bonded warehouse of the district or entitled bonded warehouse after making payment of cost price through RTGS and consideration fee preferably through e-payment.
2. The licensee shall be liable to pay the monthly installment of consideration fee by the 20th day of the month in accordance with the provisions of rule-14.

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
3. Bhang shall be sold in loose or in form of grounded pellets. The licensee shall not be allowed to sell more than 120 gram bhang to any person.	3. Bhang shall be sold in loose or in form of grounded pellets. The licensee shall not be allowed to sell more than 120 gram bhang to any person.
4. The Sale of bhang shall be allowed for off the premises consumption.	4. The Sale of bhang shall be allowed for off the premises consumption.
5. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the prescribed form and register and upload the same on the excise portal. Account register shall be produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority.	5. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the prescribed form and register and upload the same on the excise portal. Account register shall be produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority.
6. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of bhang for which license is granted.	6. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of bhang for which license is granted.
7. The license premises shall remain open for sale on all days from 10.00 A.M. to 10 P.M. , except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and up to 3 more days as notified for closures by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/days.	7. The license premises shall remain open for sale on all days from 10.00 A.M. to 10 P.M. , except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) and up to 3 more days as notified for closures by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/days.
8. The licensee shall store entire stock of bhang in the licensed premises only.	8. The licensee shall store entire stock of bhang in the licensed premises only.
9. The licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance of the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, location of the shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed in bold letters shall be printed. The signboard shall also display the following information: - ">Consumption of Bhang is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable. >Driving can be fatal after consumption of bhang. Please do not drive after consuming bhang."	9. The licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance of the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, location of the shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed in bold letters shall be printed. The signboard shall also display the following information: - ">Consumption of Bhang is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable. >Driving can be fatal after consumption of bhang. Please do not drive after consuming bhang."
10. The Licensee shall not employ any person as salesman who is below 21 years of age or is suffering from any infectious diseases or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.	10. The Licensee shall not employ any person as salesman who is below 21 years of age or is suffering from any infectious diseases or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
11. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years or any official in uniform.	11. The sale should not be made to a person below the age of twenty-one years or any official in uniform.
12. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and cleanliness of premises including its drains etc, by using pesticides	12. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and cleanliness of premises including its drains etc, by using pesticides
13. The premises in which the shop is situated shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.	13. The premises in which the shop is situated shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.
14. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling or dance programs are also strictly forbidden.	14. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling or dance programs are also strictly forbidden.
15. The licensee shall on expiry of the license, report to the District Excise Officer for disposal of balance stock which will be disposed off in accordance with Rule-17.	15. The licensee shall on expiry of the license, report to the District Excise Officer for disposal of balance stock which will be disposed off in accordance with Rule-17.
16. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.	16. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.
	17. **The licensee shall submit the list of salesmen to the district excise officer for sale of liquor at his shop. The district excise officer shall issue Naukarnama in prescribed form accordingly.**
Date……...	Date……...
District……	District……
Licensing Authority	Licensing Authority

By order,
(Senthil Pandian C.)
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0-21 असाधारण गजट-24.09.2022-427 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।